झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
प्रथम तल, कल्याण कॉम्प्लेक्स, बरियातू रोड, मोराबादी, राँची–834008
फोन–0651 2552055, ई–मेल: jsmfdc.ranchi@gmail.com

सूचना संख्या :99

राँची, दिनांक 17.08.2020

वर्ष 2020–21 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक,पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति आवेदन हेतु आवश्यक सूचना

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के छात्र–छात्राओं को निर्धारित मानदण्ड के आधार पर छात्रवृत्ति की राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति सरकारी / गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों / महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों / अन्य शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं से आवेदन–पत्र (नवीन एवं नवीकरण) **दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक** आमंत्रित किये जाते हैं।

__आवेदन करने की प्रक्रिया__ :–

इच्छुक योग्य विद्यार्थियों को केवल ऑनलाईन (Online) आवेदन (वेबसाईट, www.scholarships.gov.in) करना अनिवार्य है। इसके लिए केन्द्र सरकार के वेबसाईट www.scholarships.gov.in में दिये गये सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आवेदन करना है। अन्यथा किसी भी तरह के अन्य आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए www.scholarships.gov.in में दिए गये Guidelines तथा FAQs को अवश्य देखें।

__विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए__ :–

झारखण्ड राज्य के सभी विद्यालय / महाविद्यालय / आई॰टी॰आई॰ / विश्वविद्यालय / अन्य शिक्षण संस्थान (जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्राएँ अध्ययनरत हैं) के प्रधानाध्यापक / प्राचार्य / अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु प्राधिकृत नोडल पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति 2020–21 हेतु नेशनल छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर शिक्षण संस्थानों का रजिस्ट्रेशन कराने / KYC कराने की प्रक्रिया चल रही है। जो शिक्षण संस्थान NSP Portal पर रजिस्टर्ड नहीं है वे अपने शिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा अपने जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दें।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु शिक्षण संस्थान के नोडल पदाधिकारी का सत्यापन (KYC) फॉर्म जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अन्यथा ऐसे शिक्षण संस्थान जिनके संस्थान के नोडल पदाधिकारी का सत्यापन (KYC) किसी अन्य कार्यालय द्वारा होगा अथवा शिक्षण संस्थान के नोडल पदाधिकारी का सत्यापन (KYC) फॉर्म जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, वैसे शिक्षण संस्थान के छात्रवृत्ति आवेदनों का सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।

ह०/०
राज्य नोडल पदाधिकारी,
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति,झारखण्ड, राँची

PR 231805 (Schedule Tribe, Schedule Caste, Minority and Backward Class Welfare Department)20-21*D